हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 जून, 2014

संख्या लैज० 18/2014.—दि हरियाणा डि'वैलॅपमॅन्ट ऐन्ड रे'गयुलेशॅन ऑव् अ:बॅन ए'ॲरिअॅज़ (अॅमे'न्डमेन्ट) ऐक्ट, 2014, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 2 जून, 2014 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :--

2014 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2014
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975,
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप-धारा (4), में "चार" शब्द के स्थान पर, "पांच" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संशोधन।

आराधना साहनी,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।